

शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) गणना सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद आगरा में एन.एच.-2 से एन.एच.-3 को जोड़ने हेतु रूनकता से रोहता मार्ग पर ईदगाह-बयाना रेल सेक्सन के किमी 0 73/7-8 पर स्थिति सम्पार सं०-68बी/2ई पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु 0.07300 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग में हस्तान्तरित की जाने वाली संरक्षित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जो वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा उसका भुगतान उ०प्र० सेतु निगम आगरा द्वारा कर दिया जायेगा।

जिसका ऑकलन भारत सरकार के पत्रांक—No.5-3/2011-FC(Vol-1) दिनांक 06.01.2022 के द्वारा संशोधित गणना—

प्रभावित वनभूमि	0.07300
एन.पी.वी. की धनराशि (0.07300X957780)	69918.00 (उनहत्तर हजार नौ सौ अठारह मात्र)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आगरा